

सहकारी विपणन संघ मर्या0 के द्वारा मंडी प्रांगण से बाहर खरीदा एवं भण्डारित किया गया है एवं वाहन में परिवहन किये जा रहे "प्याज" (प्याज की मात्रा क्विंटल में) पर मंडी अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान अनुसार मंडी फीस देय नहीं है।"

5- उपरोक्त कंडिका 4 में वर्णित प्रमाण-पत्र की एक प्रति, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकृत अधिकारी के द्वारा, संबंधित मंडी समिति, जिसके क्षेत्र अन्तर्गत भण्डारित "प्याज" का राज्य के अन्दर या राज्य बाहर हेतु विक्रय किया जा रहा है, को अंकित कर इसकी पावती प्राप्त की जावे।

6- यदि अधिसूचित कृषि उपज "प्याज" का क्रय म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा मंडी प्रांगण के अन्दर किया गया है तो इस पत्र की कंडिका-3 अनुसार मंडी फीस भुगतान उपरान्त संबंधित मंडी से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने की उपरान्त ही "प्याज" का परिवहन राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर किया जाना आवश्यक होगा।

(असुण प्राण्डेय)

प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल.

क्रमांक/बी-6/निय./प्याज/उपा./441/2170

भोपाल दिनांक : 28/07/2016

प्रतिलिपि:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल, :- सूचनार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, :- सूचनार्थ।
- 3- अपर/संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय। (समस्त) :- आपके आंचल की मंडी समितियों के सचिवों के माध्यम से उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में प्रेषित प्रमाण पत्र का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करावें।
- 4- सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)। उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में प्रेषित प्रमाण पत्र का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल.